(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3712–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील उज्जैन प्रकरण कमांक 11/अ–12/15–16.

1– कालूराम पिता सिद्धूलाल
2– काशीराम पिता लक्ष्मण
3– मोहन पिता रामा
4– मेहरबान पिता देवीलाल
5– हेमरात पिता अंबाराम
6– अर्जुन पिता शंकरलाल
7– कमल पिता सेवाराम
8– अन्नुलाल पिता भेरूलाल
9– मदनलाल पिता कालूराम
10– पर्वत पिता लक्ष्मण
11– बालकृष्ण पिता शंकरलाल
12– मेहरबान पिता कालूराम
निवासीगण मोतीनगर, उज्जैन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– महेश पिता मांगीलाल आदि
निवासी 28/15, वेदनगर, उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री सुरेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री गजेन्द्र कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक महेश एवं अर्चना द्वारा उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम गोयल खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 147/6/1 रकबा 0.600, सर्वे कमांक 147/6/2 मिन–2 रकबा 1.020 कुल रकबा 1.620 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु

आवेदन पत्र तहसीलदार, तहसील उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–12/15–16 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 13–6–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 5–6–2016 को जो सूचना पत्र जारी किया गया है, उसकी कोई सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के अनुसार तथाकथित रूप से उनकी भूमि पर आवेदकगण का कब्जा माना गया है, फिर भी सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण को सूचना पत्र की तामीली नहीं करवाई गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि विधि अनुसार सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना देना आवश्यक है, किन्तु आवेदकगण को किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए सीमांकन कार्यवाही दूषित होने से तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर जो पंचनामा बनाया गया है, उसमें आवेदक कमांक 12 को अलग साईज का मकान बनाकर अतिक्रमण करने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर नहीं है और पंचनामा पर जो हस्ताक्षर हैं, वे फर्जी हैं ।

4/ अनावेदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर पंचों के समक्ष चूने की लाईन डलवाकर एवं पत्थर रखवाकर विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध अतिक्रमण पाया गया है ।

(2) सीमांकन कार्यवाही में मौके पर आवेदकगण उपस्थित थे किन्तु उनके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया है ।

(3) संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों (भूमिस्वामियों), हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिया जाना आवश्यक है, जबकि आवेदकगण न तो पड़ोसी कृषक हैं और न ही हितबद्ध व्यक्ति हैं, क्योकि अतिक्रामक (कब्जाधारी) हितबद्ध व्यक्ति नहीं होता है ।

(4) अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदकगण द्वारा स्वयं को शासकीय भूमि पर काबिज होना

बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि या आवेदकगण आसपास की भूमि के भूमिस्वामी नहीं हैं ।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सीमांकन के समय पड़ोसी कृषक व कब्जाधारी आवेदकगण उपस्थित थे, जिसमें से केवल काशीराम द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर किया गया है, शेष आवेदकगण द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है ।

(6) आवेदकगण द्वारा कहीं भी स्वयं को भूमिस्वामी नहीं माना है न ही स्वामित्व के सम्बन्ध में को दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं ।

तर्कों के समर्थन में 2016 (2) आर.एन. 146 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में अनावेदिका की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार हैं, अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र की विधिवत तामीली कराई जाकर, उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया जाना चाहिए था । इस संबंध में 1998 आर.एन. 106 सेंधवा क्लब तथा एक अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्याय सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 129–सीमांकन–हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तहसीलदार का आदेश विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण के बटांक नम्बरों के बटान नक्शे पर नहीं है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किस आधार पर सीमांकन किया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, जिस पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–16 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर